संख्या-351/2022/1330/41-2022-111(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 20 जून, 2022**

विषय:-जनपद मथुरा में राधाकुण्ड गोवर्धन स्थित नारद कुण्ड के सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-976/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(56)/2019 दिनांक 13 मई 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद मथुरा में राधाकुण्ड गोवर्धन स्थित नारद कुण्ड के सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-211/2019/1735/41-2019-111(बजट)/2019 दिनॉक 13 अगस्त, 2019 द्वारा रू0 337.97 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 168.98 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । तदनन्तर शासनादेश संख्या-308/2020/4261/41-2020-111(बजट)/2019 दिनांक 21 दिसम्बर 2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0- 67.59 लाख / शासनादेश संख्या-169/2021/574/41-2021-111(बजट)/2019 दिनांक 24-2-21 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0- 67.59 लाख एवं शासनादेश संख्या-595/2021/4043/41-2021-111(बजट)/2019 दिनांक 03-11-21 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0- 16.92 लाख अवमुक्त किये गये।

3- शासनादेश संख्या-595/2021/4043/41-2021-111(बजट)/2019 दिनांक 03-11-21 के प्रस्तर-3 में यह प्रतिबन्ध अभिव्यक्त किया गया था कि कार्यदायी संस्था द्वारा यह स्पष्ट किया जायेगा कि किस कारण से बिना प्रायोजना का पुनरीक्षण कराये मूल स्वीकृति /लागत से अधिक धनराशि व्यय की गई है एवं प्रायोजना की टेण्डर्ड लागत के सापेक्ष ही अवशेष धनराशि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। परन्तु कार्यदायी संस्था एवं निदेशालय द्वारा इस प्रायोजना पर बिना प्रायोजना का पुनरीक्षण कराये हुये व्यय की गई धनराशि रू0-84.30 लाख को वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के समय अवशेष धनराशि के समेकित प्रस्ताव में शामिल कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसके फलस्वरूप शासनादेश सं0-232/2022/807(1)/41-2022 दिनांक 31-3-2022 द्वारा प्रायोजना की उक्त अवशेष धनराशि रू0-84.30 लाख अवमुक्त कर दी गयी। उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन के पत्र सं0-976/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(56)/2019 दिनांक 13 मई 2022 के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्रांक-119/उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0/2022-23 दिनांक 12-5-2022 के आधार पर इस प्रायोजना के कार्या के 100 प्रतिशत पूर्ण होने की सूचना सहित रू0-405.38 लाख की कार्योत्तर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4- अत: उपर्युक्त प्रस्तर-3 पर अंकित तथ्यों के दृष्टिगत प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में प्रायोजना हेतु एतद्द्वारा रू0-405.38 लाख की कार्योत्तर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति इस चेतावनी सहित निर्गत करने का श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं कि भविष्य में बिना पुनरीक्षण पर पूर्वानुमोदन प्राप्त किये कोई भी कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं कराया जायेगा ।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
4- जिलाधिकारी मथुरा।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
6- उपाध्यक्ष मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी ,मथुरा।
8- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन।
12- उप निदेशक,आगरा।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।